फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला–उदयपुर

प्रार्थी : श्री कमलचन्द **विपक्षी : श्री खेमराज**

किस्म मुकदमा – 251''क'' रा.का. अधिनियम **पत्रावली संख्या : 85/22**

जीसीएमएस : 2022/270

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 18.12.2024 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी की एकरतफा बहस सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रास्ता खुलवाने का निवेदन किया। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी की खातेदारी आराजीयात पर आने जाने हेतु मौके पर रास्ता उपलब्ध था परन्तु मौके पर उपलब्ध रास्ते को अन्य खातेदारों द्वारा तारबन्दी कर अतिक्रमण कर लिया गया हैं जिसको खुलवाने हेतु प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा में पेश किया गया हैं परन्तु न्यायालय हाजा में रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता को देखते हुए नया मार्ग ही उपलब्ध करवाया जा सकता हैं पहले से मौके पर उपलब्ध मार्ग को खुलवाने का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को नहीं हैं। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251''क'' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत कर मौजा भीमल चारणान पटवार हल्का साकरियाखेडी तह. मावली की आराजी नम्बर 691/651, 686/651 पर आने जाने के रास्ते को अवरूद्ध कर देने का कथन कर रास्ता खुलवाने से सम्बन्धित पेश किया गया हैं। जबकि प्रार्थी को बन्द रास्ते को खुलवाने हेतु सक्षम न्यायालय (तहसीलदार) में आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए था परन्तु प्रार्थी द्वारा ऐसा नहीं किया गया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण नया मार्ग उपलब्ध कराने का नहीं होकर बन्द रास्ते को खुलवाने का हैं जिसको सुनने का अधिकार न्यायालय हाजा को नहीं हैं। प्रकरण में तहसीलदार मावली को धारा 251 के तहत् प्रकरण दर्ज कर सुनने का अधिकार हैं। अतः उपरोक्त विवचेन के आधार पर तहसीलदार मावली को निर्देशित किया जाता है कि धारा 251 के तहत् प्रकरण दर्ज कर पक्षकारान को विधिवत् सुनवाई का अवसर देते हुए नियमानुसार निर्णय पारित कर रास्ता खुलवाने की कार्यवाही करें। तहसीलदार मावली को निर्णय की पालना हेतु लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया। **(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)** **सहायक कलक्टर** **(SDO) मावली**	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:44:25 IST
Reason: SelfAttested